न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
केशरीमल पुत्र लच्छरामजी जाति जाट निवासी लालजी की डूगरी तहसील चितलवाना जिला जालोर		1.सरकार जरिये, तहसीलदार चितलवाना 2.जोधाराम पुत्र गोरधनरामजी जाति जाट निवासी लालजी की डूगरी (डेल)तहसील चितलवाना जिला जालोर 3.पटवार हल्का डूगरी

प्रकरण संख्या अपील 25/2019

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार चितलवाना कमांक प्र.आ.द्वा/07/1-2 दिनांक 06.02.2013

उपस्थिति:-

1-श्री चुन्नीलाल पुरोहित अभिभाषक अपीलांटस

2-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

3.रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित

दिनांक:15.10.2019

निर्णय

अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट लच्छुराम पुत्र गोरधनरामजी कौम जाट का वही पुत्र है।खानदान का मुखिया है।लच्छुरामजी की मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई थी,परन्तु राजस्व रेकर्ड में मृतक लच्छुराम पुत्र गोरधनराम के नाम से ही खातेदारी दर्ज है।अपीलांट कर्ताखानदान का मुखिया है इसलिए अपील पेश करने का अधिकार है।मौजा लालजी की डूगरी (डेला) में खाता सख्या 55 व 57 कुल रकबा 23.34 हैक्टर भूमि आई हुई है।

क.स.	खसरा नबंर	रकबा(हैक्टर में)	किस्म
1	1496/1007	0.12	बा.प्र.
2	1011	11.01	चा.दो.8.36 चा.दो 2.65
3	1006	0.06	जा.दो.
4	1006/1412	0.05	बा.प्र
5	008	0.97	बा.प्र
6	1009	0.01	गै.मु.बेरा
7	1071	0.69	बा.प्र
8	1011	9.46	चा.दो. 89.35 चा.दो 1.11
9	1006	0.45	चा.दो. 0.09 चा.दो 0.36
10	1006	0.02	चा.दो
11	1006/1412	0.01	बा.प्र

12	1496/1007	0.15	बा.प्रा.

रकबा 23.34 हैक्टर भूमि मृतक लच्छाराम व जोधाराम पिसरान गोरधनराम के नाम की थी।अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 16.02.2013 को एक आदेश जारी कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)के तहत आदेश जारी किया गया।मौजा डेला की कृषि भूमि पटवार हल्का डूगरी के खाता संख्या 55 व 57 दोनो भाईयो के बीच बंटवाडा किया गया।यह बंटवाडा आपसी सहमति के आधार पर किया गया है, जिसमें दोनो भाईयो को पूरी भूमि का बंटवाडा कर अलग अलग खातो में वर्णित किया गया।लच्छुराम वल्द गोर्धनजी को 11.58 हैक्टर व जोधाराम पुत्र गोर्धनजी को 11.58 हैक्टर भूमि व रकबा 0.18हैक्टर भूमि सामलाती रखी हुई है।परन्तु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के मध्य खरीदसुदा भूमि जो हरा पुत्र उमा कौम जाट निवासी डूगरी के पास से खसरा नंबर 1007 रकबा 1.23 हैक्टर खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टर,खसरा नबंर 1006/1412 रकबा 0.10 हैक्टर जरिये रजिस्ट्री दिनांक 06.12. 2002 को खरीद की गई थी।यह भूमि दोनो भाईयो ने बराबर हिस्से में खरीद की थी।बंटवाडे के दौरान खरीदसुदा भूमि को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने पास रख ली,जबकि खरीदसुदा भूमि पर दोनो का बराबर बराबर हक था तथा अब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का बेचाननामा श्री भेराराम पुत्र जीवाराम के पक्ष में दिनांक 25.07.2019 को निष्पादित किया है।अपीलांट को यह मालूम पडा कि खरीदसुदा भूमि का बेचाननामा भी खसरा नंबर 1071 का हो गया है जो भूमि अपीलांट के नजदीक मे है तथा भविष्य में इसे परेशानी हो सकती है।अपीलांट बंटवाडे के विरूद्ध अपील पेश कर रहा है।जिसके निम्न प्रकार है।अपीलाधीन आदेश विधि विधान व रेकर्ड के विपरीत होने से हर सूरत मे निरस्तनीय है।अपीलांट की खरीदसुदा भूमि भी तहसीलदार द्वारा पैतृक भूमि के साथ मिलाकर बंटवाडा किया है,जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पैतृक भूमि खसरा नंबर 1006, 1008, 1009 व 1011 कुल रकबा 22.28 हैक्टर है।शेष भूमि अपीलांट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खरीदसुदा भूमि है।उपरोक्त भूमि स्व.अर्जित भूमि है जो पैतृक सम्पति में बंटवाडा नही किया जा सकता है।अदालत महातत तहसीलदार चितलवाना द्वारा बंटवाडा करने के समय स्व.अर्जित भूमि खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में बंटवाडा में दी है जबकि अपीलांट को खरीदसुदा भूमि में से 1071 मे से बहुत कम भूमि दी है जबकि खसरा नंबर 1071 में आधो-आध भूमि में हक बनता है।यह भूमि मौके की है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जानबूझकर मृतक बडे भाई लच्छुराम को गुमराह करते हुए अकेले के नाम करवा दी,जबकि रकबा 0.69 हैक्टर भूमि में अपीलांट का हिस्सा बनता है।तहसीलदार चितलवाना द्वारा किया गया बंटवाडा सही नही है क्योकि स्व.अर्जित भूमि में बंटवाडा में दोनो भाईयो का बराबर हक बनता है।शेष भूमि पैतृक भूमि है।ऐसा आदेश अधिकारिताविहिन होने से Ab initio void है। अपीलांट को उक्त बंटवाडा की जानकारी दिनांक 25.07.2019 को हुई जब जोधाराम द्वारा खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टर का बेचाननामा भेराराम पुत्र जीवाराम कौम जाट निवासी डूंगरी (डेला) के पक्ष में निष्पादित की गई इस पर अपीलांट ने तहसीलदार से नकल मांगी, इसके पूर्व में अपीलांट को बंटवाडे की जानकारी नही थी, क्योंकि अपीलांट को यह जानकारी में था कि बंटवाडा पैतृक भूमि व स्व.अर्जित भूमि का समान रूप से हुआ है,परन्तु अपीलांट के पिता को धोखे में रखकर खरीदसुदा भूमि जो सडक के किनारे थी अकेले ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम करवा दी।नकल मिलने पर अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है।इसके पूर्व अपीलांट उक्त बंटवाडा के संबंध में जो खरीदसुदा भूमि है उसका बंटवाडा गलत हुआ है जानकारी नही थी।वैसे अपीलाधीन आदेश अधिकारिताविहिन मनमर्जी का फर्जी होने से म्याद की कोई कानूनी बाधा नही है।ऐसा आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है।फिर भी डिले कंडोन हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। लिहाजा अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जावे,बंटवाडा निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल के शुरू से गैर हाजिर व उनकी तरफ से जवाब भी प्रस्तुत नहीं हुआ।

वकील अपीलांट व सरकारी वकील की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दौहराते हुये कथन किया है कि ग्राम डेला तहसील चितलवाना में

लच्छूराम, जोधाराम पिसरान गोरधन कोम जाट साकिन डेला की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1006, 1008, 1009, 1011 कुल रकबा 22.28 हैक्टेयर एवं लच्छूराम, जोधाराम पिसरान गोरधन कोम जाट साकिन डेला की खरीदसुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1006/1412 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1496/1007 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उपरोक्त भूमि का विभाजन करवाने हेतु लच्छूराम व जोधाराम द्वारा तहसीलदार चितलवाना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का डूंगरी द्वारा दिनांक 06.02.2013 को जाँच रिपोर्ट की गयी जिसके आधार पर तहसीलदार चितलवाना द्वारा आदेश क्रमांक/प्र.आ.द्वा/07/1-2 दिनांक 06.02.13 के जरिये आपसी सहमति से कृषि भूमि का बंटवाडा स्वीकृत किया जिसके अनुसार लच्छूराम वल्द गोरधनराम के बंट में खसरा नंबर 1496/1007 में से 0.12 हैक्टेयर खसरा नंबर 1011 में से 11.01 हैक्टेयर खसरा नंबर 1006 में से 0.36 हैक्टेयर 1006/1412 में से 0.04 हैक्टेयर 1006/1412 में से 0.05 हैक्टेयर कुल रकबा 11.58 हैक्टेयर रखा गया। जोधाराम वल्द गोरधनराम के बंट में खसरा नंबर 1008 रकबा 0.97 खसरा नंबर 1009 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टेयर खसरा नंबर 1011 में से 9.46 हैक्टेयर 1006 में से 0.45 हैक्टेयर कुल 11.58 हैक्टेयर रखा गया एवं लच्छूराम, जोधाराम पिसरान गोरधनराम के शामलाती में खसरा नंबर 1006 में से 0.02 हैक्टेयर 1006/1412 में से 0.01 हैक्टेयर खसरा नंबर 1496/1007 में से 0.15 हैक्टेयर कुल 0.18 हैक्टेयर रखा गया। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज भी हुआ। अपीलांट के पिता लच्छूराम की मृत्यु वर्ष 2013 में ही हो गयी थी। उक्त आराजी में से खरीदसुदा आराजी पर दोनो भाईयो का बराबर-बराबर हक होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट जोधाराम द्वारा बंटवाडे के दौरान खसरा नंबर 1071 पूरा ही अपने नाम करवा लिया गया, जबकि आधे भाग पर अपीलांट का कब्जा है। खसरा नंबर 1071 का जोधाराम द्वारा दिनांक 25.07.2019 को भेराराम को बेचान करने पर अपीलांट को उक्त आराजी पर से बेदखल करने की धमकी दी तब जानकारी होते ही नक्ले लेकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टेयर जो अपीलांट के पिता लच्छूराम व रेस्पोडेंट जोधाराम द्वारा संयुक्त रूप से खरीद किये जाने के कारण बंटवाडे के जरिये जोधाराम 1/2 हिस्से की आराजी ही प्राप्त करने का अधिकारी था, लेकिन अपीलांट के पिता को धोखे में रखकर सम्पूर्ण रकबा अपने बंट में करवा लिया जो कानूनन गलत होने से बंटवाडा आदेश निरस्त करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अत: अपील स्वीकार कर बंटवाडा आदेश निरस्त करावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 की ओर से सरकारी वकील उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित। सरकारी वकील द्वारा तर्क दिया गया कि खसरा नंबर 1071 की आराजी खरीदसुदा अवश्य है लेकिन अपीलाधीन बंटवाडा पुश्तैनी व खरीदसुदा आराजी को मिलाकर किया गया है। बंटवाडे में वर्णित सम्पूर्ण आराजी का समान रूप से 1/2-1/2 हिस्सा आपसी सहमति से पेश करने पर स्वीकृत किया गया है। हिस्से अनुसार रकबे का अन्तर नहीं होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया।ग्राम डेला की नकल जमाबन्दी संवंत 2067 से 2070 के खाता संख्या 57 अनुसार ग्राम डेला तहसील चितलवाना में लच्छूराम, जोधाराम पिसरान गोरधन कौम जाट साकिन डेला की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1006, 1008, 1009, 1011 कुल रकबा 22.28 हैक्टेयर एवं खाता सख्या 55 लच्छूराम, जोधाराम पिसरान गोरधन कौम जाट साकिन डेला की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1006/1412 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1496/1007 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।उक्त आराजी का बंटवाडा हेतु लच्छुराम,जोधाराम पिसरान गोरधन द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)की तहत आपसी सहमति से बंटवाडे हेतु तहसीलदार चितलवाना को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का डूगरी की सिफारिश के आधार पर दिनांक 06.02.2013 को बंटवाडा स्वीकृति आदेश तहसीलदार चितलवाना द्वारा जारी किया गया है।उक्त बंटवाडे में पुश्तैनी खातेदारी आराजी के साथ-साथ खरीदसुदा कृषि भूमि का भी बंटवाडा किया गया है। पुश्तैनी खातेदारी आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करने में खसरा नंबर व रकबे के अन्तर की कोई बाधाऐ नही रहती है।परन्तु खरीदसुदा आराजी के प्रत्येक खसरे में हिस्से अनुसार ही खातेदारो के मध्य विभाजन किये जाने के प्रावधान है।जबकि अपीलाधीन आदेश में

वर्णित खसरा नंबर 1006/1412 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नंबर 1071 रकबा 0.69 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1496/1007 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर बैचान दस्तावेज दिनांक 17.12.2002 के अनुसार लच्छुराम,जोधाराम पिसरान गोरधन की खरीदसुदा आराजी है।उक्त खरीदसुदा तीनो खसरा नंबरान के प्रत्येक रकबे का दोनो खातेदारो के मध्य 1/2-1/2 हिस्से अनुसार रकबे का विभाजन किया जाना चाहिये था, जबकि अपीलाधीन आदेश के जरिये तीनो खसरो के रकबे का समान रूप से विभाजन नही होने के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार चितलवाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)तहत जारी स्वीकृति आदेश कमांक/प्र.आ.द्वा./07/1-2 दिनांक 06.02.2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार चितलवाना को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि संबंधित खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानो अनुसार पुन: विधी सम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर,जालोर

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर,जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 13:58:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: